प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 14.02.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्की लाल उम्र करीब 61 वर्ष निवासी फिरोज नगर थाना अजीतमल जनपद औरैया, 2. नमित पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी फिरोजनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र करीब 38 वर्ष, के कब्जे से 05 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर व 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अर्ध निर्मित अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 55/2026 धारा-3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्दर प्रकाश उर्फ पिण्टू पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष को रास्ते में आने-जाने वाली महिलाओं व लड़कियों के सामने अश्लील गाने गाना व फब्तियां कसने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 09/2026 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.शरद कुमार पुत्र महेश राठौर उम्र 22 वर्ष निवासी कटेही थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, 2.विपिन कुमार पुत्र उमाशंकर गौतम उम्र 24 वर्ष निवासी बहेरी उमरी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, 3.कुलदीप पुत्र सरमन कोरी उम्र 25 वर्ष निवासी कटेही थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, 4. रिंकू पुत्र जगजीवन राम गौतम उम्र 36 वर्ष निवासी बहेरी उमरी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात व 5. सितेन्द्र पुत्र विनोद कुमार कुशवाहा उम्र 27 वर्ष निवासी दलेलपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर द्वारा एटीएम में लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रुपये निकाल लेने व ठगी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 53/2026 धारा-318(4)/305(ए) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 952/18 धारा- 498ए/323/504/506 भादवि0 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जसवन्त पुत्र नारायण निवासी थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात (वारण्टी)को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियो, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों व थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।